Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अलवर में अतुल कुमार यादव पटवारी, पटवार हल्का खोहरी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड को 15,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर दिनांक 24 फरवरी 2026, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **अतुल पटवारी, पटवार हल्का खोहरी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली – बहरोड द्वारा 15,000/– रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी अलवर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी को उसके स्वयं के नाम व उसकी भाभी के नाम से ग्राम खोहरी तहसील बानूसर में साढ़े पांच बीघा जमीन दिनांक 22.01.2026 को खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री भी दिनांक 22.01. 2026 को तहसीलदार बानसूर के कार्यालय में करवाई थी। उक्त खरीदी गई भूमि के इन्तकाल खोलने के लिये व रहन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हटाने के लिये हल्का पटवारी अतुल द्वारा परिवादी से 15,000/– रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। दौराने सत्यापन दिनांक 06.02.2026 को 15,000/–रूपये की मांग करना पाया गया।

जिस पर ए.सी.बी. के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी **अलवर प्रथम के प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अतुल पटवारी, पटवार हल्का खोहरी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड को परिवादी से 15,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।